फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सन्तलाल बनाम राज.सरकार

किस्म मुकदमा:–88,209 R.T.Act प्रकरण संख्या:–128/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। वादी ने यह दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से चक 7 जीडीएम के पत्थर न. 240/6 (42) के किला न. 1 – 3 ता 8, 10 ता 18 में 4.048 हैक. रकबा पुख्ता आवटन होकर उक्त रकबा की तमाम किश्ते जमा करवाने के पश्चात् उक्त रकबा वादी के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है। वादी गॉव चक 4 एमएल का स्थाई निवासी है तथा वादी को दो नामो सन्तलाल व सन्तराम से गॉव में पुकारा जाता है, वादी का सही नाम सन्तलाल है जबकि गॉव की बोलचाल की भाषा में वादी को सन्तराम भी बोल देते है इसी वजह से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का बोलचाल की भाषा का नाम सन्तराम दर्ज चला आ रहा है। वादी का तमाम दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड – पहचान पत्र – बैक की पासबुक – वोटर लिस्ट में सही नाम सन्तलाल ही दर्ज चला आ रहा है परन्तु जैरवाद रकबा में वादी का बोलचाल का नाम सन्तराम दर्ज चला आ रहा है व इस रकबा के आवटन आदेश व खातेदारी सनद् में नाम सन्तराम दर्ज हो गया जबकि वादी का उस समय भी विघालय में नाम सन्तलाल ही दर्ज चला आ रहा था व वादी का तमाम पहचान के अन्य दस्तावेजो में सन्तलाल ही नाम दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सन्तराम दर्ज है, जो दुरूस्ती योग्य है। प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी हाजिर अदालत आये परन्तु जवाब दवा पेश करेन को पॉच अवसर देने के उपरान्त भी जवाब नही देने से जवाब बन्द कि गया व दावा में विरोधाभाष नही होने से तनकीयात की आवश्यकता नही हुई व साक्ष्यवादी में वादी खुद का शपथ पत्र व वादी के असल दस्तावेज आधार कार्ड – परिचय पत्र इत्यादि पेश किये गये जो बाद मिलान लौटाये गये व पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उभपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादी के नाम से चक 7 जीडीएम के पत्थर न. 240/6 (42) के किला न. 1 – 3 ता 8, 10 ता 18 में 4.048 हैक. रकबाहै जिसमें वादी का नाम सन्तराम दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड – ड्राईविग लाईसेन्स – पहचान पत्र – बैक पासबुक में नाम सतंलाल है व ग्राम पचांयत 4 एमएल द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार वादी का सही नाम सन्तलाल है उसे गॉव की भाषा में सन्तराम भी पुकारा जाता है व राशनकार्ड में भी नाम सन्तलाल है इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित है कि वादी का सही या रिकॉर्ड में नाम सन्तलाल ही है केवल उक्त रकबा की जमाबन्दी में वादी का नाम सन्तराम दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वाद वादी स्वीकार कर चक 7 जीडीएम की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 82/48 के पत्थर न. 240/6 (42) के किला न. 1 – 3 ता 8, 10 ता 18 में 4.048 हैक. रकबाअनकमाण्ड रकबा में दर्ज वादी का नाम सन्तराम वल्द रतीराम कौम नाई साकिन 4 एमएल के स्थान पर सन्तलाल वल्द रतीराम कौम नाई साकिन 4 एमएल खातेदार दर्ज किया जाने [illegible] दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:04:05 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिकी::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.सन्तलाल पुत्र श्री रतीराम जाति नाई साकिन चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादी

वाद पत्र धारा–88–209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 128 वर्ष 2019 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा तथा राजपैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार कर चक 7 जीडीएम की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता न. 82/48 के पत्थर न. 240/6 (42) के किला न. 1 – 3 ता 8, 10 ता 18 में 4.048 हैक्. रकबा अनकमाण्ड रकबा में दर्ज वादी का नाम सन्तराम वल्द रतीराम कौम नाई साकिन 4 एमएल के स्थान पर सन्तलाल वल्द रतीराम कौम नाई साकिन 4 एमएल खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। वाद खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

नोज......x......मुबलिग...... x......बाबत...... x......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......x......फस्दों की पालना..... x....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.08.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:04:05 IST
Reason: SelfAttested